

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-15112025-267705
SG-DL-E-15112025-267705असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 326
No. 347]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 326

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

(संवर्ग नियंत्रण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

फा.सं. 09(44)/2022/सीसी/योजना/पार्ट फा.-1/12322.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा —

- इस सरकार के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में संयुक्त निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं; तथा
- इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में संयुक्त निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद हेतु दिनांक 28 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं0फा0 9(13)/2008/सीसी/योजना/पार्ट-II/632 के द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुलग्नक - 1

अनुसूची

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/- रुपये) में संयुक्त निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद हेतु भर्ता नियम

1.	पदनाम	:	संयुक्त निदेशक (योजना/सांख्यिकी)
2.	पदों की संख्या	:	15 *(2025) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, राजपत्रित समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	12 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में (78,800-2,09,200 /-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं 6 (क) महत्वपूर्ण विवरण लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	आवश्यक योग्यताएँ : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय योग्यताएँ : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं योग्यता मानक टीप अनुभव मानक टीप लागू नहीं लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पद्धति प्रतिशत 8. पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 100
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	पदोन्नति:- नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में पाँच (05) वर्षों की नियमित सेवा सहित सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 के वेतनमान (67,700-2,08,700/-रुपये) में उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी)। टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो।

		प्रतिनियुक्ति : केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारी:— क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 के वेतनमान (67,700—2,08,700/—रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 के वेतनमान (56,100—1,77,500/—रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में दस वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; तथा निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/ गणितीय सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा अर्थशास्त्र/ गणित/ वाणिज्य (स्नातकोत्तर/स्नातक स्तर पर एक विषय/पेपर के रूप में सांख्यिकी/मात्रात्मक विधि/तकनीक या लागत सांख्यिकी/मूलभूत सांख्यिकी/व्यवसाय सांख्यिकी/सांख्यिकी का परिचय आदि सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षिक योग्यताओं (i) में उल्लिखित किसी भी विषय में डॉक्टरेट उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विभाग में योजनाओं/कार्यक्रमों की जांच/अनुसंधान तथा निगरानी मूल्यांकन सहित सांख्यिकीय/योजना कार्य का दस वर्षों का अनुभव। टीप : (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।) (प्रतिनियुक्ति की अवधि में उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, जो सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।) मानक टीप : लागू नहीं		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<table><tr><td> विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (सेवाएं)/सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य 3. प्रधान सचिव(योजना)/सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य </td><td> विभागीय स्थायीकरण समिति 1. लागू नहीं </td></tr></table>	विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (सेवाएं)/सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य 3. प्रधान सचिव(योजना)/सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य	विभागीय स्थायीकरण समिति 1. लागू नहीं
विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (सेवाएं)/सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य 3. प्रधान सचिव(योजना)/सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य	विभागीय स्थायीकरण समिति 1. लागू नहीं			

		4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो — सदस्य	
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टीप :

- इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- वह व्यक्ति, जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
देश बन्धु गुप्ता, निदेशक (पीईएस)

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th November, 2025

F. No. 9(44)/2022/CC/Plg/PF-1/12322.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to-

- make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of 'Joint Director (Plg./Stats.)' in various offices/ departments under this Government; and
- cancel the Recruitment Rules for the post of Joint Director (Plg./Stats.) in various offices/ departments under this Government notified vide Notification No. F.9(13)/2008/CC/Plg/Pt.-II/632 dated 28th January 2013.

ANNEXURE-I

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Joint Director (Plg./Stats.), Planning Department, Govt. of NCT of Delhi in Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).

1.	Name of the Post	:	Joint Director (Plg./Stats.)
2.	No. of posts	:	15 (2025) *subject to variation dependent on work load
3.	Classification	:	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	:	12 Remark: (Rs.78,800-2,09,200) in the pay matrix
5.	Whether Selection post/Non-Selection post	:	Selection Post

6.	Age Limits for Direct Recruits	:	NA 6(a) Crucial description NA	
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Essential	
			Qualification: NA	Experience : NA
			Desirable	
			Qualification: NA	Experience : NA
			Qualification Standard Note	Experience Standard Note
			NA	NA
8.	Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	:	AGE : NA Edu. Qual : NA	
9.	Period of Probation, if any	:	N A	
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	Method	Percentage
			8. Promotion failing which Deputation	100
11.	In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	:	Promotion: Deputy Director (Plg/Stat.) in the Scale of Pay of Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the Pay Matrix as per 7th CPC with 05 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less. Deputation: Officers under the Central/State Govt./Union Territories- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Level 11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent Cadre/Department; or (iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Level 10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent Cadre/Department; and Possessing the following Educational Qualifications and Experience: (i) Post Graduate Degree in Statistics/ Operational Research/ Mathematical Statistics/ Applied Statistics or Post Graduate Degree in Economics/Mathematics/ Commerce (with Statistics/Quantitative Method/Techniques or Costing Statistics/Basic Statistics /Business Statistics/Introduction to Statistics etc. as one of subject/papers in Post Graduation/Graduation level) of a recognized University.	

			Desirable: Doctorate Degree in anyone of the subjects mentioned in EQ (i) from a recognized University. (ii) Ten years experience of Statistical/ Planning work including Investigation/Research and Monitoring Evaluation of Schemes/ Programmes in a recognized Institute or Department. Note: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of Deputation including period of Deputation in another Ex-Cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of the receipt of applications). Standard Note: NA			
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	<table><tr><th><u>Departmental Promotion Committee</u></th><th><u>Departmental Confirmation Committee</u></th></tr><tr><td>1. Chairman/Member, UPSC </td></tr></table>	<u>Departmental Promotion Committee</u>	<u>Departmental Confirmation Committee</u>	1. Chairman/Member, UPSC
<u>Departmental Promotion Committee</u>	<u>Departmental Confirmation Committee</u>					
1. Chairman/Member, UPSC 						

Notes:

- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.
- No person, who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post: provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
DESH BANDHU GUPTA, Director (PES)